चेन्नई□ मद्रास उच्च न्यायालय ने आज 'जी न्यूज' और 'न्यूज नेशन' चैनलों पर भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी

के इंडियन प्रीमियर लीग (आईपी□ एल) सट्टेबाजी-फिक्सिंग प्रकरण में कथित संलिप्तता से संबंधित किसी भी खबर के प्रसारण पर रोक लगा दी□

न्यायमूर्ति □ स तमिलवनान ने जी मीडिया कारपोरेशन के खिलाफ धोनी द्वारा दायर 100 करो□ रूपये मानहानि के मुकदमे पर अंतरिम आदेश पारित किया□ यह अंतरिम आदेश दो हफ्ते तक प्रभावी रहेगा□ धोनी ने जी मीडिया कारपोरेशन पर कथित रूप से 'दुर्भावनापूर्ण' खबरों जैसे कि वह आईपी□ एल मैचों में सट्टेबाजी, स्पाट और मैच फिक्सिंग में शामिल है, के प्रसारण के लिये 100 करो□ रूपये के हर्जाने की मांग की□

न्यायाधीश ने धोनी के हलफनामे के अवलोकन के बाद अपने आदेश में कहा, ''मेरा विचार है कि यह □ क प्रथम दृष्टया मामला है और यह शिकायतकर्ता के पक्ष में है□ इसलिये दो हफ्ते के लिये अंतरिम आदेश दिया जा रहा है□ ''

अदालत ने जी मीडिया कारपोरेशन लिमिटेड, जी न्यूज के संपादक और बिजनेस प्रमुख सुधीर चौधरी, शुरू में आईपी□ एल सट्टेबाजी प्रकरण की जांच करने वाले आईपी□ स अधिकारी जी सम्पत कुमार और न्यूज नेशन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किये□

धोनी ने याचिका में कहा कि ये चैनल 11 फरवरी 2014 से दुर्भावनापूर्ण, अपमानजनक और झूठी रिपोर्ट और बयान दिखा रहे हैं□

याचिका में कहा गया है कि जी मीडिया कारपोरेशन लिमिटेड (जी न्यूज) तथा सम्पादक और बिजनेस प्रमुख सुधीर चौधरी आईपी□ स सम्पत कुमार के साथ मिलकर अपने चैनल और अपनी वेबसाइट पर धोनी के कथित रूप से सट्टेबाजी, मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग की गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने की खबर प्रसारित और पोस्ट कर रहे हैं□

हलफनामे के अनुसार न्यूज नेशन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड (न्यूज नेशनल चैनल) भी धोनी के खिलाफ मुहिम में शामिल हो गया और उसने यहां तक कह दिया कि धोनी को तमिलनाडु पुलिस ने समन भेजा है और इस हलफनामे के अनुसार यह पूरी तरह से झूठी बात थी□

इसमें कहा गया कि ये सभी काम इस इरादे से किये गये कि लोग धोनी से नफरत करें और आम जनता उनकी हंसी उ□ाये□

हलफनामे में दावा किया गया है कि आम जनता विशेषकर चेन्नई में चेन्नई सुपरकिंग्स के आईपी□ल प्रशंसकों पर इस दुर्भावनापूर्ण झूठी रिपोर्ट से नकारात्मक असर प□ रहा है□

इनका □ कमात्र □ जेंडा पूरी दुनिया के करो□ों क्रिकेट प्रशंसकों की निगाह में धोनी की प्रतिष्ठा को किसी तरह बदनाम करना और नुकसान पहुंचाना है□

हलफनामे में कहा गया है कि इन सभी को मिलकर 100 करो□ रूपये का हर्जाना देना होगा□

(भाषा)